

प्रेसनोट दिनांक 10.04.2021

1. दिनांक 09.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार राय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार निषाद पुत्र स्व0 मंगल नि0 बुचनीगंज सहादतगंज थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 176/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 09.04.21 को वादी श्री अशोक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अखिलेश कुमार सिंह उर्फ देवी पुत्र सोनेलाल सिंह नि0 बाघी थाना मुफसिल जनपद समस्तीपुर बिहार पु0घो0 25000/ रूपये गिर0 अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर पिस्टल से फायर करना, पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ किये गये फायर से अभियुक्त का पैर में गोली लगने से घायल हो जाना व पकड़े जाना, मौके से 01 अदद देशी पिस्टल व 02 अदद खोखा व 03 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो बिना नम्बर बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 187/21 188/21 189/21 धारा 307 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट 41/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 09.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राम चन्द्र मौर्या थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि उमेश यादव पुत्र जगन्नाथ नि0 कल्याण भदरसा थाना पूराकलन्दर अयोध्या आदि 02 नफर अभियुक्त द्वारा बिना अनुमति के बोलेरो पर पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 141/21 धारा 188, 171जी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 09.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विजय कुमार सोनी थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जगराम वर्मा पुत्र मंगरू नि0 वनगवाँ थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 123/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 09.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामपति वर्मा उर्फ गोली पता अज्ञात व 5-6 अज्ञात व्यक्ति अभि0गण द्वारा दीवाल पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 122/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 09.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अभिनन्दन पाण्डेय थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हनुमान पुत्र राम अछैबर नि0 साल्हीपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 166/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 09.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अभिनन्दन पाण्डेय थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जितेन्द्र कुमार पुत्र दौलतराम नि0 साल्हीपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 167/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 09.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अभिनन्दन पाण्डेय थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्रीराज पुत्र परमेश्वरदीन नि0 साल्हीपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 168/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 09.04.21 को वादी उ0नि0 श्री शशांक शुक्ला थाना को0बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रोहित उपाध्याय पुत्र ओम प्रकाश नि0 बेनीपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या अभियुक्त द्वारा बिना अनुमति के पिकप पर समाजवादी पार्टी का झण्डा लगाकर साउन्ड फुल आवाज में बजाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 170/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 09.04.21 को वादी उ०नि० नि० विजयन्त मिश्रा थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव पूजन पुत्र राम जियावन नि० चकिया गयासपुर थाना तारुन अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 88/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
11. दिनांक 09.04.21 को वादी उ०नि० श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मंशाराम उर्फ गब्बर पुत्र संतराम नि० मुकीमपुर पहाड़पुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 169/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
12. दिनांक 09.04.21 को वादी उ०नि० श्री जय किशोर अवस्थी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रोहित लाल पुत्र राम तीरथ नि० मुकीमपुर पहाड़पुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 170/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
13. दिनांक 09.04.21 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सत्यम सिंह पुत्र किशन पाल सिंह नि० बहबरा मजरे सुनबा थाना मवई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 91/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
14. दिनांक 09.04.21 को वादी उ०नि० श्री सुजीत कुमार मौर्या थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार यादव पुत्र ननकऊ नि० नेवरा थाना मवई अयोध्या अभियुक्त द्वारा ठेलिया पर पोस्टर, बैनर व लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 92/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।